तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इहकाम की तारीख
10.10.17	अन्य कार्य इन्तजार 10/11/17 निर्मल	
11-10-17	अन्य कार्य मुल्तवी 9-11-17 निर्मल	
9-11-17	अन्य कार्य मुल्तवी 13-11-17 निर्मल	
13-11-17	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्षों उप.। वकील प्रार्थी की लिखित बहस पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 22.11.17 को पेश हो।	
22/11/17	अन्य कार्य मुल्तवी 23/11/17	
23.11.17	अन्य कार्य इन्तजार 24.11.17 निर्मल	
24.11.17	अन्य कार्य इन्तजार 27.11.17 निर्मल	
27.11.17	पत्रावली पेश हुई। लिखित बहस व जवाब बहस पेश हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश दिनांक 18/12/17 को पेश हो।	
18-12-17	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालयों की नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा जरिये अपील न्यायालय संख्या 341, 419 भा.द.स. नायलात	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा इंतकाल संख्या 473, 305 ग्राम जीलावाली को अपास्त करने का अनुतोष इन आधारों पर चाहा है कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के दादा बग्गूसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी बग्गू सिंह के फौत होने के पश्चात यह आराजी रामसिंह एवं रामसिंह के पश्चात अपीलांट के हक हिस्से में आयी। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 3 की माता नसीब कौर अपीलार्थीगण की बहिन है जिसकी मृत्यु अपीलार्थीगण के पिता रामसिंह के जीवनकाल में ही 1987 में हो गयी थी। जबकि रामसिंह की मृत्यु 2001 में हुयी थी। रामसिंह की मृत्यु के समय उसके जिन्दा एवं विधिक वारिसान अपीलार्थीगण ही थे। रामसिंह की मृत्यु के पश्चात राजस्व वाद में विवाद के कारण अपीलार्थीगण के पक्ष में इंतकाल दर्ज नहीं करवाया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 3 ने रेस्पोंडेंट सं. 4 व 5 से मिलकर विधिविरुद्ध तरीके से इंतकाल दर्ज करवा लिया जो कि काबिले खारिज है क्योंकि अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा न तो कृषि भूमि के कब्जे के संबंध में जांच की गयी और न ही विधि के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया। बिना कब्जा जांच इंतकाल की कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि नामान्तरण की कार्यवाही केवल एक वित्तीय कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। ग्राम पंचायत ने अपने विधिक अधिकारिता से बाहर जाकर रेस्पोंडेंट को अपीलाधीन आराजी का मालिक बना दिया। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इहकाम की तारीख
	करण आक्षेपित इंतकाल काबिले खारिज है अतः विलम्ब फरमोवें। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश कर अभिकथन किए कि पटवारी हल्का से दिनांक 7.6.2012 को इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर सर्वप्रथम इसका ज्ञान हुआ जिसके 30 दिवस में अपील पेश कर दी गयी है। तत्काल दिनांक 21.5.2015 से अपील पेश होने में लगे समय हेतु कोई विधिक अड़चन से बचने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। देरी क्षमा न करने पर प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित होगा एवं उसे अपूरणीय क्षति होगी।	
	अपील अपीलार्थीगण के जवाब में रेस्पोंडेंट 1 ता 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का इंतकाल स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा करवाये है। अपील बेबुनियाद तथ्यों पर व मियाद से बाहर प्रस्तुत की गयी है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में दर्ज समस्त इंतकाल विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा धारा 136 LR Act के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बमुकाबले गुरबचनसिंह कौर बनाम स्टेट पेश किया गया था जिसमें हम रेस्पोंडेंट 1 ता 3 को मृतक रामसिंह के वारिस माना गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (यथा संशोधन) द्वारा अधिकारों में समानता सहोदरी सम्पत्ति में पुत्री को भी प्राप्त है। लिखित बहस में RJT (2012) (1) पेज 387 को उद्धृत कर अभिकथित किया गया कि रेस्पोंडेंट की माता रामसिंह की पुत्री होने के नाते पुत्रों के समान सम्पत्ति में समान हिस्सा रखती है। रामसिंह	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से हमारी माता का विरासतन हक हिस्सा बनता है। लिखित बहस में निम्नांकित न्यायदृष्टांतों का उल्लेख कर अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की -

RJ 1 2012 (1) पेज 387
RRD 1997 पेज 429
ACJ 1996 (2) पेज 303
RRD 1992 पेज 651
RRD 1992 पेज 468
RRD 1990 पेज 398
RRD 1990 पेज 400

लिखित बहस का अध्ययन किया गया एवं माननीय न्यायालय की नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिंदु पर स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 341, 419 ग्रा.प. नाथवाना एवं 473, 305 ग्रा.प. लीलावाली की संलग्न प्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 341 एवं 419 में ~~क्रमशः~~ दिनांक 5/6/12 को सरपंच नाथवाना के हस्ताक्षर 'मनोज' अंकित है। नामान्तरण संख्या 341 पर उक्त नामान्तरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत संबंधी आदेश अंकित नहीं है। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 473 एवं 305 पर भी सरपंच द्वारा मात्र हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपील में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलाधीन आराजी रामकिशन की पैतृक जमाबंदी थी। जिसमें रामकिशन के सभी वारिसान का एक हिस्सा था। रामकिशन की मृत्यु के पश्चात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इत्तला की तारीख
	ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण मामलों के इंतकाल की कार्यवाही की गयी। नामान्तरण आर.आर.डी. 2003(1) पेज 680 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तरण एक फिस्कल कार्यवाही है। यह विवादित पक्षों में कोई हक या स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। ग्राम में उत्तराधिकार पर नामान्तरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के स्वामित्व स्थापित करने हेतु उचित माध्यम से जाना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्यवाही इंतकालों में न्याय प्रक्रिया का पालन आवश्यक था। न्याय प्रक्रिया का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इंतकाल स्वीकृत करते समय विधि के आवश्यक प्रावधानों का पालन आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में उचित प्रस्ताव समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति में नामान्तरण किया जाता है। रेस्पोंडेंट सं. 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन इंतकाल किस प्रस्ताव के तहत स्वीकृत किए गए। पक्षकारों को नोटिस दिए बिना एवं विधिक प्रक्रिया को अपनाए बिना इंतकाल पारित नहीं किए जा सकते। अपीलाधीन नामान्तरणों पर मात्र सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर अंकित हैं। नामान्तरण की सूरत पर [illegible] करते या भी नामान्तरण	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने संबंधी कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। नामान्तरण किस प्रस्ताव से और किसकी उपस्थिति में पारित किए गए पत्रावली पर इसका कोई उल्लेख नहीं है, जाहिर है कि अपीलाधीन इंतकाल के समय विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना पूर्णतः नहीं की गयी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार संगरिया को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय तहसीलदार संगरिया के समक्ष दिनांक 18/02/18 को सुनवाई हेतु उपस्थित होंगे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official